"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018 — चैत्र 27, शक 1940

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :-

क्र.	संस्था का नाम	पूरा पता	जिले/क्षेत्र का नाम जहां सेवा प्रदाता के रूप में कार्य दायित्वों का विहन करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विकास मित्र कोण्डागांव	विकास मित्र कोण्डागांव, सरगीपालपारा, जिला-कोण्डागांव	राजस्व जिला कोण्डागांव
2.	दुर्गा महिला मंडल, नारायणपुर	दुर्गा महिला मंडल, जगदीश मंदिर, वार्ड क्रमांक-4, जिला-नारायणपुर	राजस्व जिला नारायणपुर
3.	कल्प समाज सेवी संस्था, जांजगीर-चांपा	कल्प समाज सेवी संस्था, लिंक रोड, मेट्रो सिनेमा के सामने, जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा	राजस्व जिला जांजगीर-चांपा

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मागे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. एम गीता, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.